अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
17-6-23	अभिलेख उपस्थापित।	

सरजु राम पिता स्व0 राधेराम, निवास स्थान खिरगाँव, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिरसी-I, थाना नं0-144, खाता संख्या-36 प्लॉट संख्या-107 रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि इन्द्रदेव राम पिता देवनाथ राम, निवास स्थान ग्राम-नया टॉंड, पोस्ट-गोसाईबलिया, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-44/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2077/रा0 दिनांक 27.10.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 11 दिनांक 05.01.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत शिवचरन चमार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 9.39 एकड़ भूमि है। रकवा 2.9974 एकड़ भूमि की जमाबंदी पंजी-II में शेष है। पंजी-II में कुल रकवा 6.0550 एकड़ दर्ज था। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-62/1 पर माधो चमार वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत् है। आवेदक के परदादा वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 2.9574 एकड़ भूमि संयुक्त खाते में बचता विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल ... छोटानागपुर काश्तकारी ... प्रश्नगत भूमि की ... है। ... हजारीबाग

आ0 सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सरजु राम पिता स्व0 राधेराम, निवास स्थान खिरगाँव, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिरसी-1, थाना नं0-144, खाता संख्या-36 प्लॉट संख्या-107 रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि इन्द्रदेव राम पिता देवनाथ राम, निवास स्थान ग्राम-नया टॉंड, पोस्ट-गोसाईबलिया, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.19 13:18:44 +05:30
Location: 192.168.43.127